भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1783
बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीप ओशन मिशन

1783. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'डीप ओशन मिशन' के अंतर्गत घोषित गहरे समुद्र में खनन क्रियाकलाप का ब्यौरा क्या हैं;
(ख) क्या गहरे समुद्र में खोज और खनन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का आयात किया जाता है या इसे देश में ही विकसित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है कि भारी खनन मशीनरी से गहरे समुद्र में रहने वाले पर्यावासों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

क डीप ओशन मिशन (डीओएम) के तहत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए भारत को आवंटित मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) क्षेत्र में 6000 मीटर तक की गहराई से प्रौद्योगिकी विकसित करने और गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) के उत्खन्न का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है।

ख जी हाँ। गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी का विकास स्वदेशी रूप में किया जा रहा है। अवधारणा विकास, अनुसंधान और विश्लेषण, विन्यास और वास्तविक एकीकरण और सिस्टम मॉड्यूल का विकास सभी स्वदेशी हैं। 6000 मीटर महासागर की गहराई के लिए कुछ विशिष्ट और विशिष्ट क्षेत्र के उपकरण और घटक विशेष अंतरराष्ट्रीय ओईएम से खरीदे जाते हैं और आंतरिक प्रयासों के माध्यम से नियोजित गहरे समुद्र खनन प्रणाली में एकीकृत और अनुकूलित किए जाते हैं।

ग जी, हाँ। गहरे समुद्र में उत्खनन कार्य और संबद्ध सर्वेक्षण, अन्वेषण और उत्खनन प्रणाली का परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्रों में किया जा रहा है। उत्खनन प्रणाली के डिजाइन और विकास के दौरान, गहरे समुद्र की स्थिति पर संभावित प्रभाव के पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार किया जाता है और उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। समुद्र में विकसित गहरी उत्खनन प्रणालियाँ और परीक्षण योजनाएँ पर्यावरणीय प्रभाव और गतिविधियों की अपेक्षित निगरानी पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

*****